

यूजेवीएन लिमिटेड
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कारपोरेट एवं पंजीकृत कार्यालय

Corporate & Regd. Office

“उज्जवल” महारानीबाग, जी०एम०एस०रोड, देहरादून-248 006

“Ujjwal”, Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun-248 006

दूरभाष-0135-2763508 फ़ैक्स सं० 0135-2763507

Phone-0135-2763508, Fax-0135-2763507

मानव संसाधन विभाग

Human Resources Department

“यमुना भवन” यमुना कालोनी, देहरादून-248 001

“Yamuna Bhawan”, Yamuna Colony, Dehradun-248 001

दूरभाष-0135-2531975/2530909 फ़ैक्स सं० 0135-2531646

Phone-0135-2531975/2530909, Fax-0135-2531646

संख्या 2199-यूजेवीएनएल/05/कार्मिक/अनु०-02/जी-2,

दिनांक मार्च 28, 2012

कार्यालय ज्ञाप

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की विज्ञप्ति संख्या 313/XXXVI(3)/2011/57(1)/2011, दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 द्वारा अधिसूचित तथा कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या 72/XXX(2)/2012, दिनांक 02 मार्च, 2012 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त निगमों, सार्वजनिक उपकर्मों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, परिषदों तथा स्थानीय निकायों के कार्मिकों पर लागू “उत्तराखण्ड लोक सेवकों लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक-2011” (उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 21 वर्ष, 2011) में निहित प्राविधानों के तहत निर्धारित समय सारिणी के अनुसार वार्षिक स्थानान्तरण किये जाने हेतु एतद्वारा, निगमान्तर्गत स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

- 1- समूह “क” एवं “ख” श्रेणी (सहायक अभियन्ताओं एवं उच्चतर) (लेखा संवर्ग को छोड़कर) के अधिकारियों हेतु स्थायी स्थानान्तरण समिति -

1	निदेशक(परिचालन)	अध्यक्ष
2	निदेशक(मानव संसाधन)	सदस्य
3	निदेशक(परियोजनायें)/अधिशायी निदेशक(जानपद)	सदस्य
4	अधिशायी निदेशक(वि०एवंयों०)/महाप्रबन्धक(ल०ज०वि०प०)	सदस्य
5	उपमहाप्रबन्धक(कार्मिक)	सदस्य एवं संयोजक

(उक्त समिति में सभी अधिकारी पदेन होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक (परिचालन)/निदेशक (मा०सं०)/निदेशक (परियोजनायें) में से वरिष्ठतम अधिकारी ही, अध्यक्ष पदेन नामित रहेंगे।)

- 2- समूह “क” एवं “ख” श्रेणी (सहायक लेखाधिकारियों/लेखाधिकारियों एवं उच्चतर) के लेखा संवर्ग के अधिकारियों हेतु स्थायी स्थानान्तरण समिति -

1	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष
2	निदेशक(मानव संसाधन)	सदस्य
3	महाप्रबन्धक(ल०ज०वि०प०)	सदस्य
4	महाप्रबन्धक(जानपद)	सदस्य
5	महाप्रबन्धक(गंगा वैली)	सदस्य
6	महाप्रबन्धक(यमुना वैली)	सदस्य
7	उपमहाप्रबन्धक(कार्मिक)	सदस्य एवं संयोजक

(उक्त समिति में सभी अधिकारी पदेन होंगे।)

कमशः2/

3- अवर अभियन्ताओं हेतु स्थायी स्थानान्तरण समिति -

1	अधिकांश निदेशक(जानपद)	अध्यक्ष
2	अधिकांश निदेशक(वि० एवं यॉ०)	सदस्य
3	महाप्रबन्धक(लघु जल विद्युत परियोजनाये)	सदस्य
4	महाप्रबन्धक(जानपद)	सदस्य
5	महाप्रबन्धक(गंगा वैली)	सदस्य
6	महाप्रबन्धक(यमुना वैली)	सदस्य
7	उपमहाप्रबन्धक(कार्मिक)	सदस्य एवं संयोजक

(उक्त समिति में सभी अधिकारी पदेन होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि अधिकांश निदेशक (जानपद)/अधिकांश निदेशक (वि० एवं यॉ०) में से वरिष्ठतम अधिकारी ही अध्यक्ष पदेन नामित रहेंगे)

4- मिनिस्ट्रीयल, कॉमन कैंडर के सभी संवर्ग यथा प्राविधिक, आशुलिपिक एवं लेखा संवर्ग के कर्मचारियों हेतु स्थायी स्थानान्तरण समिति -

1	महाप्रबन्धक(कार्मिक एवं औ०सं०)	अध्यक्ष
2	उपमहाप्रबन्धक(लेखा)	सदस्य
3	उपमहाप्रबन्धक(कार्मिक)	सदस्य
4	उपमहाप्रबन्धक(तकनीकी)	सदस्य
5	सम्बन्धित सहायक प्रबन्धक(मा०सं०)	सदस्य एवं संयोजक

(उक्त समिति में सभी अधिकारी पदेन होंगे।)

5- यॉंत्रिक/परिचालकीय संवर्ग के कर्मचारियों जिनकी वरिष्ठता का रख-रखाव विद्युत गृहवार किया जाता है एवं जिनके नियुक्ति अधिकारी संबंधित उपमहाप्रबन्धक/अधिकांश अभियन्ता है, हेतु स्थायी स्थानान्तरण समितियाँ -

क- यमुना वैली के अन्तर्गत- (विद्युत गृहवार/कार्यालयवार जिसे प्रोन्नति हेतु इकाई माना जाता है, के अनुसार अलग-अलग स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित होगी)

1	महाप्रबन्धक(यमुना वैली)	अध्यक्ष
2	उपमहाप्रबन्धक, डाकपत्थर/अधिकांश अभियन्ता(वरिष्ठतम)	सदस्य
3	उपमहाप्रबन्धक, ढकरानी	सदस्य

(उक्त समिति में सभी अधिकारी पदेन होंगे।)

ख- गंगा वैली के अन्तर्गत- (विद्युत गृहवार/कार्यालयवार जिसे प्रोन्नति हेतु इकाई माना जाता है, के अनुसार अलग-अलग स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित होगी)

1	महाप्रबन्धक(गंगा वैली)	अध्यक्ष
2	उपमहाप्रबन्धक, चीला	सदस्य
3	उपमहाप्रबन्धक, एम०बी०एस० प्लांट्स, तिलोथ	सदस्य
4	उपमहाप्रबन्धक, उत्पादन, एम०बी०-2, चिन्यालीसौड	सदस्य
5	उपमहाप्रबन्धक, कालागढ़ अधिष्ठान एवं प्रशिक्षण, कालागढ़	सदस्य
6	उपमहाप्रबन्धक/अधिकांश अभियन्ता, लोहियाहेड	सदस्य
7	उपमहाप्रबन्धक(ल०ज०वि०), पिथौरागढ़	सदस्य

(उक्त समिति में सभी अधिकारी पदेन होंगे।)

क्रमशः3/

ग- लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत - (विद्युत गृहवार/कार्यालयवार जिसे प्रोन्नति हेतु इकाई माना जाता है, के अनुसार अलग-अलग स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित होगी)

1	महाप्रबन्धक(ल0ज0वि0 परियोजनायें)	अध्यक्ष
2	उपमहाप्रबन्धक(ए0डी0बी0-ल0ज0वि0), ऋषिकेश	सदस्य
3	उपमहाप्रबन्धक(ल0ज0वि0), श्रीनगर(गढ़वाल)	सदस्य

(उक्त समिति में सभी अधिकारी पदेन होंगे।)

घ- इंजीनियरिंग एवं पर्यावरण के अन्तर्गत - (विद्युत गृहवार/कार्यालयवार जिसे प्रोन्नति हेतु इकाई माना जाता है, के अनुसार अलग-अलग स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित होगी)

1	महाप्रबन्धक(इंजी0 एवं पर्या0)	अध्यक्ष
2	उपमहाप्रबन्धक(एम0एण्ड यू0-गंगा वैली)	सदस्य
3	उपमहाप्रबन्धक(एम0एण्ड यू0-यमुना वैली)	सदस्य
4	उपमहाप्रबन्धक(एम0एम0एण्ड सी0एम0)	सदस्य

(उक्त समिति में सभी अधिकारी पदेन होंगे।)

च- महाप्रबन्धक(जानपद) के अन्तर्गत - (विद्युत गृहवार/कार्यालयवार जिसे प्रोन्नति हेतु इकाई माना जाता है, के अनुसार अलग-अलग स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित होगी)

1	महाप्रबन्धक(जानपद)	अध्यक्ष
2	उपमहाप्रबन्धक, जानपद-प्रथम, डाकपत्थर	सदस्य
3	उपमहाप्रबन्धक, जानपद, ढालीपुर	सदस्य
4	अधिशासी अभियन्ता(जानपद), पशुलोक बैराज, ऋषिकेश	सदस्य

(उक्त समिति में सभी अधिकारी पदेन होंगे।)

छ- महाप्रबन्धक(जानपद) (नई परियोजनायें) के अन्तर्गत - (एम.बी.-I एवं एम.बी.-II सिविल सहित) (विद्युत गृहवार/कार्यालयवार जिसे प्रोन्नति हेतु इकाई माना जाता है, के अनुसार अलग-अलग स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित होगी)

1	महाप्रबन्धक(जानपद) (नई परियोजनायें)	अध्यक्ष
2	उपमहाप्रबन्धक, जानपद, मनेरी	सदस्य
3	उपमहाप्रबन्धक, जानपद-द्वितीय, देहरादून	सदस्य
4	अधिशासी अभियन्ता, जानपद अनुश्रवण, जोशियाड़ा	सदस्य

(उक्त समिति में सभी अधिकारी पदेन होंगे।)

उक्त समितियाँ यंत्रिक/परिचालकीय संवर्ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण अपने नियंत्रणाधीन इकाईयों के अन्तर्गत किये जाने हेतु संस्तुति देगी एवं विधीक्षा की कार्यवाही निगम मुख्यालय (कार्मिक विभाग) द्वारा की जायेगी।

कमशः4/

स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष निम्न समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न की जायेगी -

1	स्थानान्तरण समितियों का गठन	01 अप्रैल
2	प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची प्रकाशित करना और उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना	15 अप्रैल
3	अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाने की तिथि	20 अप्रैल
4	अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि	30 अप्रैल
5	उक्त 3 व 4 में विकल्प/आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि	15 मई
6	प्राप्त विकल्पों/आवेदन पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना	20 मई
7	स्थानान्तरण समिति की बैठक तथा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि	25 मई से 05 जून
8	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अन्तिम तिथि	10 जून
9	निर्गत किये गये स्थानान्तरण आदेश को उत्तराखण्ड (निगम में यूजेवीएन लि0) की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 02 दिन के अन्दर

उक्त सन्दर्भित स्थानान्तरण विधेयक-2011 का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। प्रश्नगत अधिनियम में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करने के कृत्य को अधिनियम का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिए संबंधित को ब्यवित्तगत रूप से जिम्मेदार माना जायेगा तथा तदनुसार उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। स्थाई स्थानान्तरण समितियों के अध्यक्षों का उत्तरदायित्व होगा कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर नियमानुसार स्थानान्तरण की संस्तुतियाँ सक्षम कार्यालय/अधिकारी को उपलब्ध करा दें। अग्रतर यह भी कि स्थाई स्थानान्तरण समितियों की बैठक हेतु निर्धारित तिथि 25 मई से 10 जून के मध्य समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों को अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में समिति के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक (जैसी भी स्थिति हो) के अनुमोदन के उपरान्त ही कमशः सदस्यों एवं अध्यक्षों को अवकाश हेतु अनुमति प्रदान की जा सकेगी।



कमशः5/

यूजेवीएन लिमिटेड के अन्तर्गत स्थानान्तरण की कार्यवाही हेतु चिन्हित किये गये सुगम एवं दुर्गम स्थलों के वर्गीकरण की सूची अनुलग्नक-1 के रूप में एत्सह संलग्न है।

इस आदेश को संलग्नक सहित निगम की वेबसाइट "www.uttarakhandjalvidyut.com" पर भी देखा जा सकता है।

जी० पी० पटेल
प्रबन्ध निदेशक


संख्या 2199-यूजेवीएनएल/05/कार्मिक/अनु०-02/जी-2,

दिनांक मार्च 28, 2012

प्रतिलिपि उक्त सन्दर्भित अनुलग्नक-1 सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही/समस्त कार्मिकों में परिचालित कराने हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- 3- समस्त निदेशक/अधिशारी निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड।
- 4- समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड।
- 5- कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- 6- वरिष्ठ प्रबन्धक(आई.टी.), यूजेवीएन लि०, देहरादून को निगम की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 7- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड।
- 8- समस्त अधिशारी अभियन्ता/प्रबन्धक(प्रशा० एवं सु०)/वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लि०।
- 9- मानव संसाधन विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- 10- कट फाइल।
- 11- प्रचार/प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड-उज्ज्वल, गंगा भवन, यमुना भवन, देहरादून।
- 12- स्थायी स्थानान्तरण समिति के समस्त अध्यक्षों/सदस्यों/संयोजकों(पदेन) को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु।

संलग्नक : यथोपरि।


28.3.2012
(एस० के० चोपड़ा)
निदेशक(मानव संसाधन)(प्र०)

परिशिष्ट

(देखिए कमांक 3 का खण्ड (झ))


सुगम क्षेत्र

जिला- देहरादून	देहरादून, गलोगी मुख्यालय-देहरादून, हरिपुर, हर्षावाला, ऋषिकेश, प्रगतिपुरम्, पशुलोक/पशुलोक बैराज, डाकपत्थर/डाकपत्थर बैराज, खोदरी, ढकरानी, ढालीपुर/आसन बैराज, कुल्हाल
जिला-हरिद्वार	हरिद्वार, पथरी, मोहम्मदपुर
जिला-पौड़ी	कालागढ़, चीला
जिला-उधमसिंह नगर	खटीमा (लोहियाहेड), काशीपुर

दुर्गम क्षेत्र

जिला- देहरादून	छिबरो, कोटी/इच्छाड़ी डेम, लखवाड़ परियोजना, व्यासी परियोजना, गलोगी विद्युत गृह।
जिला-पौड़ी	दुनाव, श्रीनगर।
जिला-उत्तरकाशी	उत्तरकाशी, मनेरी भाली स्टेज-I, मनेरी भाली स्टेज-II, मनेरी/मनेरी डेम, पाला मनेरी, तिलोथ, कुटेटीदेवी, चिन्वालीसौड़, जोशियाड़ा/जोशियाड़ा बैराज, धरासूँ, हीना, धनारीगाड़, पिलांगाड़, किशाऊ, तालुका, सांकरी, पिलांगाड़-II, हर्षिल, अस्सीगंगा-I, अस्सीगंगा-II, अस्सीगंगा-III, गंगोरी, सोनगाड़, कालदीगाड़, स्वारीगाड़।
जिला-चमोली	चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ-II, तपोवन, थराली, उरगम, उरगम-II, जुम्मागाड़, पाण्डुकेश्वर, नन्दप्रयाग लंगासू, बावला नन्दप्रयाग, तमकलता, ऋषिगंगा-प्रथम।
जिला-पिथौरागढ़	पिथौरागढ़, सरकरीभ्योल रूपसियाबगड़, रेलागाड़, कंचोटी, छिरकिला, सुरिनगाड़, तालेश्वर, बरार, छड़नदेव, गरांव, धारचूला, तांकुल, पैनागाड़, मुनस्यारी, सोबला, कुलागाड़, थल, जौलजीवी।
जिला-रूद्रप्रयाग	सोनप्रयाग, तिलवाड़ा, कालीगंगा-I, कालीगंगा-II, मध्यमहेश्वर, गुप्तकाशी, ऊखीमठ।
जिला- टिहरी	भिलंगना-द्वितीय।
जिला-नैनीताल	कोटाबाग।
जिला-चंपावत	सप्तेश्वर, गौरी।

अन्य सभी प्रस्तावित लघु जल विद्युत परियोजनायें एवं वृहद जल विद्युत परियोजनायें।


कार्यिक अधिकारी
सूक्ष्म जल विद्युत